

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:-186/2012

दायर दिनांक:- 17.08.2012

जीसीएमएस नं. 2016/00556

उनवान

मिथलेश पत्नि मेघराम जाति मीना निवासी गांवडा मीना तहसील हिण्डौन जिला
करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

बच्चु सिंह पुत्र रामचरण जाति निवासी गांवडा मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान

—प्रतिवादीगण-06


दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एव वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एव वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एव वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एव वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। अतः मुकदमा न0 186/2012 मिथलेश बनाम बच्चुसिंह अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली